न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

एल0आर0 अपील संख्या :–193/2020/कैम्प टोंक

देवनारायण पुत्र बजरंगलाल जाति गुजर निवासी हरभावता तहसील निवाई जिला टोंक

–अपीलांट

बनाम

श्री नारायण पुत्र मोटा जाति गुजर साकिन हरभावता तहसील निवाई जिला टोंक

–रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर टोंक दिनांक 10.09.96 प्रकरण संख्या 80 सन् 90 उनवानी देवनारायण बनाम श्री नारायण।

उपस्थित अभि0:–

1. अपीलांट अभि0:–अनुपस्थित
2. रेस्पोडेंट अभि0–पी0के0जैन

निर्णय **दिनांकः–17.02.2023**

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 श्री नारायण निवासी हरभावता तहसील निवाई जिला टोंक को भू–सलाहकार आवंटन समिति द्वारा दिनांक 19.10.1977 को खसरा नम्बर 877 रकबा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 889/1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि ग्राम हरभावता में कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी। अपीलांट के अनुसार आराजी नम्बर 889/1 पर उसका कब्जा लगातार चला आ रहा है ओर उक्त भूमि अपीलांट की खातेदारी के खेत से मिली हुई है। अतः रेस्पोडेंट के पक्ष में किया गया, भूमि आवंटन खारिज किया जायें। इस बाबत एक प्रार्थना पत्र नियम 14(4) भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर टोंक में प्रस्तुत कर प्रकरण संख्या 80/90 में दर्ज करवाया गया था। जिस पर बाद सुनवाई जिला कलक्टर टोंक द्वारा दिनांक 10.09.1996 द्वारा अपने निर्णय से रेस्पोडेंट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा तत्समय न्यायालय आरएए टोंक में दिनांक 22.11.2000 को अपील संख्या 23/2000 दर्ज करवायी गयी थी। दिनांक 13.04.2010 को मौका कमिशनर हेतु प्रार्थना पत्र अपीलांट हेतु प्रस्तुत किया गया था व स्थगन प्रार्थना पत्र भी उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। दिनांक 08.06.2010 को वकील रेस्पोडेंट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र व मौका निरिक्षण प्रार्थना पत्र बाबत जवाब प्रस्तुत किया गया। दिनांक 15.07.2010 को अपीलांट व वकील अपीलांट के अनुपस्थित रहने पर अदम हाजरी [illegible] खारिज कर दी गई। दिनांक 10.03.2011 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद दा[illegible] के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब हेतु तारीख पेशी होती रही। दिनांक 27.01.2020 को राजस्व ग्रुप–6 विभाग की अधीसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण में न्यायालय का क्षेत्राधिकार होने से सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा को प्रेषित किये है। न्यायालय हाजा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:22:24 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली प्राप्त होने पर इसे दिनांक 18.03.2020 को 193/2020 नम्बर पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट अनुपस्थित रहे। वकील रेस्पोडेंट उपस्थित रहें। उन्होने गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण करने के लिए कहा। वकील रेस्पोडेंट के अनुसार आवंटन हमे किया गया है। नियम 14(4) की कार्यवाही अपीलांट द्वारा की गई है। जो खारिज हो चुकी है। अभी अपील प्रस्तुत की गई है। अन्य वाद अपीलांट द्वारा किया गया है। वह भी खारिज हो चुका है। उसकी अपील भी आरएए में खारिज की जा चुकी है। अपील निरस्त की जायें।

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। न्यायालय आरएए में अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मौका निरीक्षण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसका जवाब रेस्पोडेंट अधिवक्ता द्वारा किया गया जो पत्रावली पर शामिल किया गया।

सर्वप्रथम अपील को मियाद बिन्दु के संदर्भ में देखा गया। अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर टोंक दिनांक 10.09.1996 का है। अपीलांट द्वारा दिनांक 11.10.1996 को अपील तत्समय आरएए न्यायालय टोंक में प्रस्तुत करना पाया जाता है। आरएए न्यायालय द्वारा दिनांक 09.06.1999 को अपील को पोषणीय न होने से खारिज कर दिया था। इस पर अपीलांट द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 76/99 दर्ज करवायी गयी। जिसे राजस्व मण्डल द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः आरएए टोंक को गुणावगुण पर निस्तारण करने हेतु रिमाण्ड किया गया। अपीलांट ने अपील के निम्न आधार बताये है–

1. विवादित खसरा नम्बर 889/1 में आवंटन से पूर्व नाड़ा व पुख्ता पाल बनाकर अपीलांट द्वारा काफी खर्च किया गया है।

2. रेस्पोडेंट द्वारा खसरा नम्बर 889/1 का आधा भाग अपीलांट को गैर खातेदारी रहते हुए हस्तानांतरित किया गया था, इससे आवंटन को निरस्त किया जाना चाहिए था।

3. मौके पर अपीलांट का कब्जा है। आवंटन से पूर्व रेस्पोडेंट के पास अन्य जमीन भी थी मगर आवंटन हेतु आवेदन पत्र में उसके द्वारा बात को छिपाकर आवंटन प्राप्त किया गया था। जिस वजह से आवंटन को निरस्त किया जाना चाहिए था। अतः अंत में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट के पक्ष में किये गये आवेदन को निरस्त किया जायें।

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। क्योंकि रेस्पोडेंट विवादित भूमि का खातेदार है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट का नहीं बनता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का खारिज किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मौका कमिशनर रिपोर्ट मंगवाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर रेस्पोडेंट का जवाब का अवलोकन किया गया। न्यायालय का यह मानना है कि जब रेस्पोडेंट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। उसे आवंटन के बाद कब्जा दिया गया था। ऐसी स्थिति में कब्जाकाश्त रेस्पोडेंट का ही माना जायेगा। अतः मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर खारिज किया जाता है। न्यायालय पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ही निर्णय करना उचित समझता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:22:24 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर टोंक का अवलोकन किया गया। मुख्य रूप से उनके द्वारा रेस्पोडेंट की खातेदार होने से एवं अपीलांट द्वारा नियमन हेतु प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र

प्रस्तुत नहीं किये जाने को आधार मानकर अपीलांट की अपील को खारिज किया गया था। नामातंरण संख्या 128 दिनांक 24.05.1989 को रेस्पोडेंट नारायण पुत्र मोटा गूजर साकिन हरभावता को खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है। रेस्पोडेंट को खातेदारी अधिकार संवत 2036 में ही प्राप्त हो चुके है। अपीलांट का यह कहना है कि विवादित भूमियों पर उसका कब्जा है। उसका कब्जा आवंटन से पूर्व ही था। मगर आवंटन हेतु ऐसी भूमि को भी अनाधिवासित भूमि ही माना जाता है। ऐसी भूमियों का आवंटन किया जा सकता है। लम्बे समय बाद पूर्व में किये गये भूमि आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपीलांट का कब्जा विधि अनुरूप नहीं माना जा सकता है। अपीलांट को भूमि नियमन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। आरआरडी 1992 पेज 266–67 एवं आरआरडी 1988 पेज 563 प्रकरण में सही रूप से चस्पा होते है। अपीलांट द्वारा अपील के तथ्यों को सिद्ध करने में असफल रहा है। समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट को सही रूप से भूमि आवंटन किया गया था। अब उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुका है। भूमि आवंटनको 40 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है। अपीलांट द्वारा भूमि आवंटन बाबत नियमन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना नही पाया जाता है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट का आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन प्रकरण 80/90 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 द्वारा जिला कलक्टर टोंक उनवानी देवनारायण बनाम श्रीनारायण निर्णय दिनांक 10.09.96 यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:22:24 IST
Reason: SelfAttested